

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 03 सन 2021

अनवान :-

1. धनराज 2. ओमप्रकाश 3. महेन्द्रसिंह 4. रूपराम 5. रामकिशन पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 24/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 460/448 की कुल 9.9780 हैक् भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सायल के पिता का नाम विजयसिंह दर्ज हो गया जबकि सायल के पिता का सही नाम बृजलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है सायल का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायल का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , सभी में सायल के पिता का नाम बृजलाल दर्ज है तथा सायल के नाम अन्य चको/ग्राम में भूमिया और जिसमें वादी के पिता का नाम बृजलाल सही तौर से दर्ज है वाद भूमि में सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल के पिता का नाम का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायल अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 460/448 की कुल 9.9780 हैक् भूमि में सायल के पिता का नाम विजयसिंह के स्थान पर बृजलाल संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 460/448 की कुल 9.9780 हैक् भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सायल के पिता का नाम विजयसिंह दर्ज हो गया जबकि सायल के पिता का सही नाम बृजलाल है यही नाम

अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है सायल का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायल का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , सभी में सायल के पिता का नाम बृजलाल दर्ज है तथा सायल के नाम अन्य चको/ग्राम में भूमिया और जिसमें वादी के पिता का नाम बृजलाल सही तौर से दर्ज है वाद भूमि में सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल के पिता का नाम का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायल अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 460/448 की कुल 9.9780 हैक् भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम विजयसिंह दर्ज है। सायल का कथन है कि उसके पिता का सही नाम बृजलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

सायल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , सभी में सायल के पिता का नाम बृजलाल दर्ज है तथा सायल के नाम अन्य चको/ग्राम में भूमिया है जिसमें वादी के पिता का नाम सही तौर बृजलाल अंकित है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो से साबित है वाद भूमि में सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायल अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 460/448 की कुल 9.9780 हैक् भूमि में सायल के पिता का नाम विजयसिंह अंकित है के स्थान पर बृजलाल उर्फ विजयसिंह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
नोहर

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 03/2020 अनवानी धनराज बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. धनराज 2. ओमप्रकाश 3. महेन्द्रसिंह 4. रूपराम 5. रामकिशन पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 03/2020 अनवानी धनराज बनाम सरकार में दिनांक 24/03/21 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 460/448 की कुल 9.9780 हैक् भूमि में सायल के पिता का नाम विजयसिंह अंकित है के स्थान पर बृजलाल उर्फ विजयसिंह संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )